प्रतिलिपि :- यह आदेश, आदेश पत्रिकों में जो कि न्यायालय माखनलाल झोड़ द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर द्वारा जमानत आवेदन पत्र क्रमांक—बी.ए. 20/2018, धारा 439 दं.प्र.सं. के संदर्भ में आज दिनांक 24.02. 2018 को पारित किया गया, जिसके पक्षकार निम्नानुसार है :-

मंगलसिंह आयु 63 वर्ष पिता पंचम सिंह जाति गोंड निवासी–भालापुरी थाना गढ़ी तहसील बैहर जिला बालाघाट म0प्र0 – – आवेदक // विरुद्ध //

म.प्र.शासन द्वाराः—वन परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र भैसानघाट जिला—बालाघाटः — — — — **अनावेदक।**

{आदेश (देनांक 24/02/2018 की प्रतिलिपि)

आवेदक द्वारा श्री एन0 ठाकरे अधिवक्ता उप.। राज्य द्वारा श्री अभिजीत बापट अपर लोक अभियोजक उप.।

वन परिक्षेत्र भैसानघाट के पी०ओ०आर०क० 2949 / 18 धारा 2, 27, 29, 31, 35(8), 50, 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 का अभिलेख आर.सी.टी. क्रमांक 212 / 2017 के प्राप्त।

जमानत आवेदन पत्र कं. 20 / 2018 पर उभय पक्षों के तर्क श्रवण किये गये।

आवेदन की ओर से तर्क कर निवेदन किया गया कि आवेदक का अपराध से संबंध नहीं है। परेशान करने की गरज से झूठा आलिप्त किया गया है। इसी जिले का स्थायी निवाासी है। आवेदक का प्रथम जमानत आवेदन पत्र है, इसके अलावा माननीय सत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर में कोई जमानत आवेदन पेश नहीं है न ही विचाराधीन है, शर्तों का पालन करेगा, जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने की याचना की है।

राज्य की ओर से ए.पी.पी. श्री बापट आपित्त व्यक्त कर जुमानत आवेदन निरस्त किए जाने की याचना की।

आर.सी.टी. क्रमांक 212 / 2017 म0प्र0 राज्य बनाम मंगल सिंह के अभिलेख का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के दर्ज किए गए तर्को को विचार में लिया गया। अभियुक्त की अभिरक्षा की अवधि तथा अपराध की प्रकृति के साथ दण्ड की अवधि को दृष्टिगत रखते हुए राज्य की आपत्ति को विचार में लेकर विचारण में समय लगने की अवधि की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए पेश जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक मंगलिसंह को आदेशित किया जाता है कि यदि वह न्यायालय श्री दिलीप सिंह, जे.एम.एफ.सी. बैहर की संतुष्टि योग्य 20,000 / —(बीस हजार) रूपये की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि का बंधपत्र प्रत्येक पेशी पर स्वयं उपस्थित रहने, विचारण में सहयोग करने की शर्त का पालन करने हेतु पेश करें तो उसे जमानत पर आजाद करने हेतु रिहाई आदेश जारी हो।

आदेश की एक प्रति न्यायालय श्री दिलीप सिंह, न्या.मजि.प्र.श्रे. बैहर की ओर आर.सी.टी. क्रमांक 212/2017 म0प्र0 राज्य बनाम मंगलसिंह के अभिलेख के साथ संलग्न कर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

यह कार्यवाही पंजी से निरस्त कर, परिणाम दर्ज कर अभिलेख अभिलेखागार भेजा जावे।

> सही / – (माखनलाल झोड) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर

प्रतिलिपि :

1— न्यायालय श्री दिलीप सिंह, न्या.मजि.प्र.श्रे. बैहर की ओर आदेश की एक प्रति आर.सी.टी. कमांक 212/2017 म0प्र0 राज्य बनाम मंगल सिंह के अभिलेख के साथ संलग्न कर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

सही/-

(माखनलाल झोड) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर